न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–125 / 2019
GCMS NO:- 2019/00475

दायर दिनांकः 19.09.2019
पीठासीन अधिकारीः–श्रीमती प्रीति मीणा

देवकरण आ0 रूघनाथ उर्फ रूगा जाति गुर्जर नि0 ग्राम करीरी।

–वादी

बनाम

1. श्रीमान भूमिधारी जर्ये तहसीलदार महोदय, नैनवॉ जिला बून्दी।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बून्दी।
3. महेन्द्र आ0 रामस्वरूप जाति गुर्जर नि0 करीरी।

––प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 88, 89ए, 188 आर.टी एक्ट।

उपस्थितिः–
वादी की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र सिंह नरूका।

निर्णय दिनांक 12.05.2025

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम करीरी प0म0 नाहरगंज की खसरा परिवर्तन निर्धारण की कृषि भूमि संवत् 2075 की खसरा नम्बर 332 रकबा 0–10 बिस्वा स्थित है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 332 का कुल रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा है। उक्त भूमि सिवायचक भूमि है जिस पर वादी का करीब 35–40 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है तथा वादी ने उक्त भूमि पर बाडा बना रखा है जिसकी चतुर्थ सीमा निम्न प्रकार हैः– पूर्व मे आम रास्ता, पश्चिम मे स्कूल का डोल, उत्तर मे बद्री गुर्जर का बाडा, दक्षिण मे कमलेश महाजन की भूमि स्थित है।

यह कि वादी का उक्त बाडे पर करीब 35–40 वर्षो से लगातार खुल्लम खुल्ला कब्जा चला आ रहा है तथा समस्त ग्रामवासीयान की जानकारी मे वादी उक्त बाडे पर काबिज रहकर उसको कृषि यंत्रों को रखने व जानवरों को बांधने व खलयान के रूप मे काम मे लेकर उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। वादी को उक्त बाडे पर लगातार कब्जा होने से कब्जा मुखालफाना भी प्राप्त हो चुका है तथा वादी समय पर लगान भी जमा करवाता चला आ रहा है। यह कि प्रतिवादी संख्या 3 वादी से रंजिश रखता है तथा अपने सरपंच पद पर होने का फायदा उठाकर अपने पदीय कर्तव्य से परे हटकर राजनैतिक द्वेश्ता से वादी को उसके कब्जे शुदा उक्त भूमि से बेदखल कर अपने परिजनों का कब्जा कराना चाहता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से मिलीभगत कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अपने प्रभाव मे ले लिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पिछले एक माह से वादी को जबरन उक्त भूमि से बैदखल करने पर आमादा हो रहे है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से काफी निवेदन किया कि उक्त भूमिप र मेरा 35–40 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है तथा आप मुझे उक्त भूमि का खातेदार घोषित कर मेरा खातेदार के रूप मे राजस्व रिकॉर्ड मे नाम दर्ज कर दो किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी को उक्त भूमि पर खातेदार घोषित करने से मना कर दिया और कहा कि हम तो इस जमीन को प्रतिवादी संख्या 3 के कहे अनुसार उसके परिजनों के नाम आवंटन कर उनका कब्जा कराकर रहेंगे तथा दिनांक 30.07.2019 को प्रतिवादीगण वादी की उक्त भूमि पर आ गये और वादी को बेदखल कर कब्जा प्रतिवादी संख्या 3 के परिजनों को संभलाने की धमकी देकर गये है तथा प्रतिवादी संख्या 3 भी जबरन उक्त भूमि पर से वादी को बेदखल कर अपने परिजानों का कब्जा करना चाहता है तथा वादी को बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दे रहा है यही वाद का कारण है। यह की वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद करवाये कि वादी के हक अधिकार व आधिपत्य की कब्जे शुदा वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमिप र से वादी को बैदखल कर कब्जा नही करें, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जबरन प्रतिवादी संख्या 3 के परिजनों के नाम आंवटन कर कब्जा नही करवाये तथा प्रतिवादी संख्या 3 जबरन वादी को उक्त भूमि से बैदखल नही करे, भूमि को नष्ट भ्रष्ट व हस्तांतरण नही करे, वादी के जानवरों को बांधने व कृषि यंत्रों को रखने व खलयान मे काम मे व उपयोग–उपभोग मे बाधा कारित नही करे। ऐसा ना तो स्वयं करे और ना ही अन्य किसी से करवाये। यह कि वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि पर वादी का लगातार 35–40 वर्षो से कब्जा होने से तथा वादी को उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना प्राप्त होने से कब्जा मुखालफान के आधार पर उक्त भूमि 10 बिस्वा का अपने को खातेदार घोषित करवाकर इस आशय का अंकन समस्त राजस्व रिकॉर्ड व जमाबन्दी मे कराये।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण तलब किये गए। प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त हुआ। वादी की ओर से साक्ष्यवादी मे शपथ पत्र पेश किये।

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज आदि का अवलोकन किया। वाद पत्र में बहस सुनी गयी। वादी मात्र एडवर्स पजेशन के सिद्धान्त के आधार पर भूमि खसरा संख्या 332 जो राजस्व रिकॉर्ड मे सिवायचक दर्ज रिकार्ड है, के विरूद्ध खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते है। वादी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज के आधार पर वादी का उक्त भूमि पर कोई कानूनन अधिकार नहीं है। वादी ने अपने वाद को साबित करने के लिए किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये है। कब्जेदार एडवर्स पजेशन के आधार पर रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध बिना पर्याप्त दस्तावेजी आधार के खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है अतः वादी का वाद साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैंनवां